न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–135/2023
वाद प्रस्तुति दिनांक–13.09.2023
निर्णय दिनांक–18.12.2024

सीता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम नयागांव बोरडी तहसील व जिला टोंक (राज0)

बनाम

1. धनभर पुत्री रामचन्द्रा जाति जाट निवासी ग्राम खण्डवा तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
2. तहसीलदार पीपलू
3. उपखंडीयक पीपलू जिला टोंक राज0

अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी–श्री राजेन्द्र सराघना एड0
श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0

अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 01–श्री विवेक चौधरी एड0

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

अधिवक्ता वादी ने एक वाद बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया है भूमि आराजी ख0न0 1294/1 रकबा 1.6439 हैक्ट. व ख0न0 1294/2 रकबा 0.7081 हैक्ट. कुल किता 02 कुल बा 2.3520 हैक्ट. वाके ग्राम सोहेला, पटवार हल्का सोहेला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। वादीया का उक्त राजीयात में 1/2 हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी व तिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजयीयात अविभाजित है। जिसका विभाजन नही हो ा है, किन्तु प्रतिवादीगण बिना विधिवत् विभाजन कराये ही अजनबी व्यक्तियो को आराजीयात में प्रवेश कराने का ास कर रहे है तथा उक्त भूमि को विक्रय कर, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। वादीया द्वारा जब प्रतिवादी को बिना धिवत् विभाजन के भूमि को विक्रय करने के लिए मना किया तो प्रतिवादीया ने वादीया को उसके हिस्से से बेदखल ने की धमकी दी तथा भूमि के बिना विधिवत् विभाजन कराये अन्य लोगो को बेचान करने हेतु लाकर दिखाना रू कर दिया तथा वादीया को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने से मना कर दिया है। इस कारण

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ादीया के लिए आवश्यक हो गया की वह अपने हिस्से 1/2 का विधिवत् विभाजन कराकर अपनी पृथक जमाबंदी यार करा लेवे एवं अपने हिस्से में आयी भूमि का नक्शा शीट में तरमीम करा लेवे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद त्पन्न ना हो। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा आराजीयात फरमायी जाकर वादपत्र के रण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात का विधिवत् विभाजन करवाकर वादीया का हिस्से 1/2 की पृथक खाता यम कराया जावे एवं उसके हिस्से की आराजी का नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे।

पत्रावाली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री वेक चौधरी एडव० ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी. तुत किया की उक्त उनवानी प्रकरण वादीया द्वारा अपनी कृषि आराजीयात के तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु तिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने वादपत्र के पेरा ख्या 07 में वादकारण वाद प्रस्तुती दिनांक 13.09.2023 के 06 दिन पूर्व उत्पन्न होना अंकित किया है। जबकि तिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हिस्सा माह जुन 2023 में ही जरिये इकरारनामा विक्रय किया जा चुका है। जिसका क्य पत्र क्रेतागण भगवान सहाय पुत्र भंवरलाल गुप्ता व कैलाशचन्द पुत्र कालूराम खण्डेलवाल के हक में दिनांक 31. 2023 को पंजीबद्ध करवाया गया है। जिसकी पूर्ण जानकारी वादीया को थी, किन्तु उसने क्रेतागण को हेरान व ान करने के लिए बनावटी वाद कारण अंकित करते हुए माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 के तहत् खारिज किये जाने योग्य है। वादी संख्या 01 द्वारा अपना हिस्सा क्रेतागण को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया जा चुका है और उनके हक में यपत्र के आधार पर नामान्तकरण भी दर्ज किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रश्नगत कृषि आराजीयात में त हक अधिकार विधिक प्रावधानो के तहत् क्रेतागण के हक में निहित हो चुके है और तकासमा का वाद उन्ही त्तयो के विरूद्ध लाया जा सकता है, जो की आराजी के खातेदार हो। प्रस्तुत वाद क्रेतागण के विरूद्ध नही है। सकी वजह से वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि वर्जित है, जो खारिज योग्य है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 दोनो बहिने है और दोनो को प्रश्नगत आराजीयात अपने पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिसे दोनो ही संयुक्त से आधोली पर देकर काश्त करवाती थी, किन्तु माह जुन 2023 में रूपयो की आवश्यकता होने से मुझ प्रतिवादी ा 01 द्वारा आपसी विभाजन किये जाने के पश्चात ही भूमि का विक्रय क्रेतागण को किया गया है। वादिया ने वादीया को दोनो शामिल खेतो के बीच में पुरा हिस्सा देकर दोनो ओर अपना हिस्सा प्राप्त किया था। किन्तु अब की नियत में बेईमानी आ गई है और उसने क्रेतागण को हेरान व परेशान करने के लिए गांव के दूसरे लोगो के ावे में आकर माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग । की मंशा से यह झूठा व बनावटी वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध एवं विधि वर्जित होने से काबिल त्तनीय है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीया वाद कारण के अभाव में विधिक प्रावधानो के तहत् विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की वादीया ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे त की भूमि का तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि वर्जित नही है। प्रार्थिया/प्रतिवादी पने मनगढ़त एवं झूठे कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीया ने माह जुन 2023 में किये

उप खण्ड अधिकारी
दीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

गये इकरारनामे तथा दिनांक 31.08.2023 को पंजीबद्ध तथाकथित विक्रयपत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी अप्रार्थी/वादीया को नही है। प्रतिवादी/प्रार्थिया ने सिर्फ वादिया को हेरान व परेशान करने व वाद में देरी करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने अपने वादपत्र में विधि के सिद्धान्तो के अनुसार ही जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को ही पक्षकार बनाया गया है, जो एक आवश्यक पक्षकार है। क्योकि तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में रिकॉर्डेड एवं सहखातेदार को ही पक्षकार बनाया जाता है। यदि प्रतिवादी प्रार्थिया ने अपनी खातेदारी के हिस्से का बेचान कर दिया है, तो क्रेता सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत् पक्षकार बन सकते है। प्रार्थिया/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मनगढ़त, काल्पनिक, झूठे कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा तथाकथित इकरारनामा जुन 2023 में किया जाना अंकित किया है। जो वादीया के ज्ञान एवं जानकारी में नही है तथा वादीया पूर्व से लेकर वर्तमान तक निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है। इस प्रकार प्रतिवादी ने बनावटी एवं झूठे कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया की वादीया ने वादपत्र के पेरा संख्या में वादकारण वाद प्रस्तुती दिनांक 13.09.2023 के 06 दिन पूर्व उत्पन्न होना अंकित किया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हिस्सा माह जुन 2023 में ही जरिये इकरारनामा विक्रय किया जा चुका है। जिसका विक्रय पत्र क्रेतागण भगवान सहाय पुत्र भंवरलाल गुप्ता व कैलाशचन्द पुत्र कालूराम खण्डेलवाल के हक में दिनांक 31.08.2023 को पंजीबद्ध करवाया गया है। जिसकी पूर्ण जानकारी वादीया को थी, किन्तु उसने क्रेतागण को हेरान व परेशान करने के उद्देश्य से वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध वाद कारण के अभाव में आदेश 7 नियम 11 के तहत् खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हिस्सा क्रेतागण को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किया जा चुका है और उनके हक में विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तकरण भी दर्ज किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रश्नगत कृषि आराजीयात में निहित हक अधिकार विधिक प्रावधानो के तहत् क्रेतागण के हक में निहित हो चुके है और तकासमा का वाद उन्ही व्यक्तियो के विरूद्ध लाया जा सकता है, जो की आराजी के खातेदार हो। प्रस्तुत वाद क्रेतागण के विरूद्ध नही है। जिसकी वजह से वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि वर्जित है, जो खारिज योग्य है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 दोनो सगी बहिने है और दोनो को प्रश्नगत आराजीयात अपने पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। जिसे दोनो ही संयुक्त रूप से आधोली पर देकर काश्त करवाती थी, किन्तु माह जुन 2023 में रूपयो की आवश्यकता होने से मुझ प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आपसी विभाजन किये जाने के पश्चात ही भूमि का विक्रय क्रेतागण को किया गया है। वादिया न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग करने की मंशा से यह झूठा व बनावटी वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध एवं विधि वर्जित होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद कारण के अभाव में विधिक प्रावधानो के तहत् विधि वर्जित होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थिया/वादीया ने ने अपनी बहस में बताया की प्रतिवादीया ने माह जुन 2023 में किये गये इकरारनामे तथा दिनांक 31.08.2023 को पंजीबद्ध तथाकथित विक्रयपत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी अप्रार्थी/वादीया को नही है। वादीया ने अपने वादपत्र में विधि के सिद्धान्तो के अनुसार ही जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को ही पक्षकार बनाया गया है, जो एक आवश्यक पक्षकार है। क्योकि तकासमा एवं स्थायी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

भेधाशा के दावे में रिकॉर्डेड एवं सहखातेदार को ही पक्षकार बनाया जाता है। यदि प्रतिवादी प्रार्थिया ने अपनी तेदारी के हिस्से का बेचान कर दिया है, तो क्रेता सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत् पक्षकार बन सकते है। तिवादी द्वारा तथाकथित इकरारनामा जुन 2023 में किया जाना अंकित किया है। जो वादीया के ज्ञान एवं जानकारी नही है तथा वादीया पूर्व से लेकर वर्तमान तक निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है। इस प्रकार प्रतिवादी ने नावटी एवं झूठे कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, जवाब प्रार्थना पत्र व दपत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादीया/प्रार्थीया द्वारा उक्त वादित आराजीयात में अपना सम्पूर्ण हिस्सा भगवानसहाय गुप्ता पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी टिक्कीवालो का ल्ला, पुरानी टोंक व कैलाशचन्द पुत्र कालूराम खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी संघपुरा, पुरानी तह0 व जिला क को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान किया जा चुका है। विवादित आराजीयात में प्रतिवादीया का कोई हक सा निहित है। प्रतिवादीया प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नही है। हितबद्ध पक्षकार क्रेतागण है। जिनको प्रकरण में कार नही बनाया गया है एवं वाद से पूर्व विक्रय पत्र तहरीर कराया गया है। साथ ही अधिवक्ता वादीया ने वादीया ा पुत्री रामचन्द के फोत होने बाबत् कथन किया है। जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार किया है। विवादित आराजीयात के ा में नवीन पक्षकारो को संयोजित करते हुए नवीन वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस कारण ी/प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को कार किया जाकर, वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर दावा विधिक प्रावधानों के रूप नही होने तथा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय नाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

उप (अनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)